न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 62/2018

1 सुबेसिंह पुत्र श्रीम ल्लुराम जाति जाट निवासी ग्राम चिमा का बास तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 रामस्वरूप पुत्र श्री रूपाराम जाति जाट निवासी ग्राम चिमा का बास तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 नेतराम पुत्र रूपाराम
3 ताराचन्द पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी ग्राम चिमा का बास तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
4 दलीप सिंह पुत्र श्री मांगेराम जाति नाई निवासी ग्राम पीपली तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
5 हरिसिंह पुत्र श्री मल्लुराम
6 मृतक हनुमान राम पुत्र श्रीमल्लुराम जाति जाट निवासी ग्राम चिमा का बास तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
6/1 मनोहरी स्त्री
6/2 अजीत पुत्र
6/3 कृष्ण कुमार पुत्र
6/4 राजेश पुत्री स्व. हनुमानाराम जाति जाट निवासी ग्राम चिमा का बास तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
7 मृतक चन्दगीराम पुत्र श्री कुरडाराम जाति जाट निवासी ग्राम चिमा का बास तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
7/1 शान्ति स्त्री
7/2 मांगेराम पुत्र स्व. चन्दगीराम
7/3 बुधराम पुत्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

7/4 सुरतसिंह पुत्र
7/5 कमला पुत्री स्व. चन्दगीराम जाति जाट निवासी ग्राम चिमा का बास तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
8 केसाराम पुत्र श्री कुरडाराम जाति जाट निवासी ग्राम चिमा का बास तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
9 झुन्झुनूं केन्द्रीय सहकारी बैंक सुरजगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
10 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सुरजगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक।
11 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बड़ौदा जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।
12 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सुरजगढ़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट

अपील अ.धारा 225 राज. काश्त. अधिनियम 1955
अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 25.09.2017 बअदालत
उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ मुकदमा उनवानी रामस्वरूप
बनाम नेतराम मु.नं. 71/2017 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 29.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 71/2017 में पारित निर्णय दिनांक 25.09.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 72 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 73 रकबा 0.65, खसरा नम्बर 74 रकबा 1.39 हैक्टैयर, खसरा नम्बर 75 रकबा 1.05 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम चिमा का बास तहत तहसील सुरजगढ़ में स्थित है। उक्त जमीन के बाबंत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 रामस्वरूप ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत खाता विभाजन रिकार्ड दुरूस्ती घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। जिसके साथ रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 रामस्वरूप ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 तथा धारा 151 जा.दी. के तहत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अपीलान्ट को बिना सुने दिनांक 04.05.2017 को अन्तरिम एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की। जिसको विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ ने विचाराधीन निर्णय दिनांक 25.05.2017 के द्वारा आदेश दिनांक 04.05.2017 को ताफैसला मूलवाद कन्फर्म किये जाने का आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने निर्णय जैर बहस दिनांकित 25.09.2017 पारित करने में आदेश 39 नियम 1 व 2 जा.दी. के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु के सिद्धान्तों की पूर्ण विवेचना नहीं कर निर्णय जैर बहस पारित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

किया है। कानून से अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के अन्तिम निर्णय पारित करते समय निर्णय जैर बहस में उपरोक्त तीनों सिद्धान्तों की पूर्ण विवेचना कर निर्णय पारित करना चाहिये। इस प्रकार विचाराधीन निर्णय खारिज होने योग्य है। जमीन हाल खसरा नम्बर 72 से 75 कुल रकबा 3.74 हैक्टेयर में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 से 3 के पिता रूपाराम का 1/6 हक हिस्सा था। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का विवादित जमीन पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने जो दावा पेश किया है वह विधि द्वारा वर्जित है। विभाजन के दावा में कानून से हक हिस्से की जमीन को वाद पत्र में शामिल किया जाना आवश्यक है। जमीन हाल खसरा नम्बर 83 व 84 चिमा का बास को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में शामिल नहीं किया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में अपीलान्ट व उसके भाईयों द्वारा प्रस्तुत जवाब देही को निर्णय जैर बहस पारित करने में अनदेखी की गई है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय जेर बहस पारित करने में कोई आधार दर्ज नहीं किया। कानून से अन्तिम निर्णय पारित करने समय निर्णय में सम्पूर्ण पक्षकारान के नाम व वल्दियत सहित निर्णय जैर बहस पारित करना चाहिये। कानून से सह खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। कानून से एक सह खातेदार अपने हक हिस्से को विक्रय कर सकता है। विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूरर्णीय क्षति का बिन्दु रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में करने में कानूनी गलती की है। जानकारी अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में पक्षकारों के मध्य विभाजन का वाद लंबित है पक्षकारों के हितों का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य सुनवाई के उपरांत किया जाना शेष है। विवादित भूमि सहखातेदारी काश्तकारी की होना प्रकट है। मूलवाद के निर्णय से पूर्व पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नहीं हो इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)